

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कालूराम बनाम झूठा प्रार्थना पत्र संख्या 21/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/42)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

12.02.24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। उन्हे आवाज दिलवाई गई फिर भी अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में पुनः रूक-रूककर कई बार आवाजें दिलवाई गई। उसके उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र बाजदायरी वर्ष 2022 से एडमिशन में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता प्रार्थी पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है और आज भी प्रार्थी की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(असलम शेर खान)

अति-संभागीय आयुक्त,
जयपुरा